



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-56/2021-22/

Date 06.12.2021

To ✓
All District/Sub Treasury Officer/Banks


Sir,

Sub: Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01.07.2021 to Uttarakhand State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the **Seventh Revised Pay Scale.** – reg.

Ref: 1. O.M. No. 219/XXVII(7)02/2016, Dehradun Dated 24.09.2021 of Government of Uttarakhand, Finance (G.R.-P.C.) Section-7
2. SSA No P.A./Pension/2021-22/1433 dated 08.11.2021 received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of the SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding payment of Dearness Allowance at increased rate from 01.07.2021 to Uttarakhand State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link “Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners”. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Accountant General (A&E)
Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan,
Kaulagarh, Dehradun, Pin – 248195
(For Information)

-sd-
Sr. Accounts Officer

PO/IV/DSSA/56

22.11.2021

ACOI

190666
15/11/21

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135-2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2021-22/1433

दिनांक-8/11/2021

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हेदराबाद	500004
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हेदराबाद	500004

Dr. Ordy
C. Khand
SSA

IV

①

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड
“महालेखाकार भवन” कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 2021-22/ 1433

दिनांक: 08/11/2021

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय:- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारको, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को महंगाई भत्ते का 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान ।

संलग्न संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 7, संख्या:- 219/XXVII
(7)02/2016 दिनांक: 24.09.2021

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

21 जेठ 2021

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- 219 /XXVII(7)02 /2016
देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-353/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 17% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई, 2021 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01-07-2021 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन में मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% ही रहेगी।

4. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

6. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 219 /XXVII(7)02 /2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा10 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENREAL (A&E)-UTTARAKHAND
'MAHALEKHAR BHAWAN' KAULAGARH, DEHRADUN-248195

No. PA/Pension/2021-22/1433

Dated 08.11.2021

"SPECIAL SEAL AUTHORIZATION"

To

All Offices of the Principal Accountants General/Accountants General (A&E)

Sub : Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01st July, 2021, to State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale.

Enclosed Reference : Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section-7, No:- 219/XXVII/(7)02/2016 dated 24.09.2021.

Sir,

Copies of the above referred Government Order, issued by the Department of Finance, Uttarakhand, are being sent enclosed herewith. You are requested to circulate the above cited order to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and issue directions to take action as per rules and inform this office of the action taken.

Encl. : as above

Yours faithfully,
Sd/-
Sr Accounts Officer/Pension

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FINANCE (VE.AA.-SA.NI.) SECTION-7
NO. 219/XXVII(7)02/2016
DEHRADUN, DATED 24TH SEPTEMBER, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01st July, 2021, to State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale

Vide Department of Finance, Government Order No. 353/XXVII(7)02/2016 dated 21st October, 2019, Dearness Allowance at the rate of 17% has been allowed from 01st July 2019, to those Government employees of the State Government, to whom the Seventh Revised Pay Scale is allowed.

2. In continuation to Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi OM dated 20th July, 2021, the Honourable Governor is pleased to accord sanction to increase the existing rate of dearness allowance of 17% of admissible Basic Pay to 28% per month w.e.f. 01.07.2021, under pre-determined terms and conditions, to those State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale.

3. The rate of dearness allowance for the period of 01st January, 2020 to 30th June, 2021 shall remain 17% of Basic Pay.

4. This order shall not be applicable suo moto on the Honourable Judges of High Court, Chairman and members of Uttarakhand Public Service Commission and the employees of Local Bodies and Public Undertaking etc. In respect of them, separate orders are required to be issued by the concerned department.

5. The arrear of revised dearness allowance from 01st July, 2021 to 31st August, 2021 shall be paid in cash, to the above employees. Payment of dearness allowance shall be made regularly with pay from 01.09.2021. But the pension contribution of the employees covered by the Contributory Pension Scheme, along with employer's contribution shall be deposited in the respective account of New Pension Scheme and the remaining amount shall be paid in cash.

6. Under above conditions and the terms/conditions described earlier, the Dearness Allowance sanctioned as above shall be permissible to the Officers of All India Service working under the Uttarakhand State.

Sd/-

(Manisha Panwar)
Addl Chief Secretary

No. : 219(1)/XXVII(7)02/2016, EVEN DATED

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. **Accountant General, Uttarakhand, Dehradun**

.....

By orders,

Sd/-

(Ganga Prasad)
Additional Secretary